(२६)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्ष मनोज गोयल
प्रशासकीय सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2679-II/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 20–04–2012 पारित द्वारा अपर आयुक्त, सागर संभाग सागर प्रकरण क्रमांक 307/अ–70/2010–11

1–चन्द्रभान सिंह तनय रघुवीरसिंह
2–ब्रजभान सिंह तनय रघुवीर सिंह
3–राज कुमार सिंह तनय किशन सिंह
4–प्रहलाद सिंह तनय किशन सिंह
सभी निवासी ग्राम हींगटी तहसील बीना
जिला सागर म0प्र0

.....आवेदकगण

विरूद्ध

सुनील तनय कृष्ण कुमार जैन
निवासी मढिया वार्ड, बीना
जिला सागर म0प्र0

..... अनावेदक

श्री अनिल सिंह, अभिभाषक आवेदकगण
श्री अजय श्रीवास्तव, अभिभाषक अनावेदक

:: आदेश ::

(आज दिनांक 14/11/14 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा अपर आयुक्त, सागर संभाग सागर के प्रकरण क्रमांक 307/अ–70/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 20–04–2012 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदकगण द्वारा तहसीलदार बीना के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण क्रमांक 30/अ–70/2009–10 में पारित अंतरिम आदेश

दिनांक 27–09–2010 के विरूद्ध पुनरीक्षण आवेदन पत्र न्यायालय अपर कलेक्टर सागर के समक्ष पुनरीक्षण प्रकरण कमांक 07/अ–70/2010–11 प्रस्तुत किया गया । निगरानी प्रकरण कमांक 07/अ–70/2010–11 में अपर कलेक्टर जिला सागर द्वारा दिनांक 22–12–2010 के पूर्व लिखित तर्क प्रस्तुत करने के मौखिक आदेश दिये गये थे व आवेदक के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 22–12–10 के पूर्व ही लिखित तर्क प्रस्तुत किये जा चुके थे । निगरानी प्रकरण का अवलोकन किये बिना प्रकरण दिनांक 22–12–10 को आवेदकगण की अनुपस्थिति में अदम पैरवी में खारिज कर दिया । अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 22–12–10 के विरूद्ध अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की जो प्रकरण कमांक 307/अ–70/2010–11 पर पंजीबद्ध किया जाकर विचाराधीन आदेश दिनांक 20–04–2012 से निगरानी निरस्त की । अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–4–12 से व्यथित होकर आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3– प्रकरण में आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किये गये जिसमें बताया कि आवेदकगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण आवेदन पत्र में यह बिन्दु उठाया था कि दिनांक 22–12–2010 के पूर्व आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा अपर कलेक्टर के मौखिक निर्देशानुसार लिखित तर्क प्रस्तुत किये जा चुके थे इस कारण उक्त दिनांक को आवेदकगण अथवा उनके अधिवक्ता की उपस्थिति आवश्यक नहीं थी । अधीनस्थ न्यायालय को यह मान्य करना चाहिये था कि अपर कलेक्टर जिला सागर के प्रकरण में आवेदक की ओर से लिखित तर्क पूर्व से संलग्न है व दिनांक 22–12–2010 को प्रकरण अंतिम तर्क हेतु ही नियत है उक्त परिस्थितियों में आवेदकगण की ओर से नियत दिनांक की कार्यवाही की जा चुकी है तब प्रकरण में आवेदक की अनुपस्थित में विधिक प्रावधान के अन्तर्गत निरस्त नहीं किया जाना चाहिये था व अनावेदक के तर्क श्रवण किये जाकर प्रकरण को आदेश हेतु नियत किया जाना चाहिये था । तर्क में यह भी बताया कि अपर कलेक्टर सागर के विवादित आदेश के विरूद्ध उक्त बिन्दु पर निगरानी आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त है इस कारण उसके द्वारा निगरानी आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था । आवेदकगण को किसी निश्चित बिन्दु पर अन्य न्यायालय के समक्ष जाने हेतु

बाध्य किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरूद्ध है । अंत में आवेदक अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करते हुये निगरानी का निराकरण गुणदोषों के आधार पर करने का अनुरोध किया ।

4– अनावेदक की ओर से उनके अभिभाषक द्वारा तर्क में यह बताया कि अधीनस्थ अपर कलेक्टर न्यायालय सागर द्वारा प्रश्नाधीन आदेश द्वारा आवेदक का पुनरीक्षण उनकी अनुपस्थिति एवं अदम पैरवी में खारिज किया है जबकि संहिता की धारा 35 के प्रावधानानुसार उन्हें उसी न्यायालय अपर कलेक्टर के समक्ष पुनर्स्थापना हेतु आवेदन देना चाहिये । आवेदकगण की ओर से न तो धारा 35(3) के तहत पुनर्स्थापना आवेदन दिया गया और न ही धारा 35(4) के तहत अपील की गई है । इसके पश्चात् आवेदकगण द्वारा इस न्यायालय में संहिता की धारा 50 के तहत निगरानी प्रस्तुत गई जो प्रचलन योग्य ही नहीं है । आवेदक का तर्क कि उन्हें मौखिक रूप से अपर कलेक्टर न्यायालय ने दिनांक 22–12–10 के पूर्व लिखित तर्क पेश करने के लिये कहा था व उनके द्वारा दिनांक 22–12–10 के पूर्व लिखित तर्क पेश किये गये थे इसलिये अंतिम बहस दिनांक 22–12–10 को उनकी उपस्थिति आवश्यक नहीं थी, आवेदकगण का यह तथ्य आधारहीन है। प्रकरण अदम पैरवी में खारिज होने पर आवेदकगण को विधिक प्रावधानों के तहत कार्यवाही करना थी जो उनके द्वारा नहीं की गई । अंत में अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा निगरानी बलहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया ।

5– प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया तथा विद्वान अभिभाषकगणों के तर्कों पर मनन किया गया एवं विभिन्न अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों का सूक्ष्म अध्ययन किया गया। अपर कलेक्टर के न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनके प्रकरण में आवेदक के अंतिम लिखित तर्क संलग्न है । अपर कलेक्टर ने दिनांक 10–12–2010 को प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया तथा नियत दिनांक 22–12–2010 के पूर्व ही आवेदक ने अपने लिखित तर्क प्रस्तुत कर दिये । ऐसी स्थिति में दिनांक 22–12–2010 को अपर कलेक्टर ने आवेदक की अनुपस्थिति में प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त करने में त्रुटि की है क्योंकि आवेदक के तर्क रिकार्ड पर थे ऐसी स्थिति में

अपर कलेक्टर को दूसरे पक्ष के तर्क सुनकर प्रकरण में आदेश पारित करना था न कि प्रकरण में अदम पैरवी में निरस्ती की कार्यवाही । विद्वान अपर आयुक्त ने भी इस तथ्य की ओर ध्यान न देते हुये मात्र तकनीकी आधार पर अपना निष्कर्ष निकाला है ।

6– उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में निगरानी स्वीकार की जाकर अपर कलेक्टर का आदेश दिनांक 22–12–2010 तथा अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 20–04–2012 निरस्त किये जाते हैं। प्रकरण अपर कलेक्टर को इन निर्देशों के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह उभयपक्षों को सुनकर गुणदोष पर आदेश पारित करें ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर